# अध्याय-7

## भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की पर्यवेक्षण भूमिका

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) एवं (7) के अंतर्गत सरकारी कंपनी और सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को पूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है और सांविधिक लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर टिप्पणी या पूरक जारी करते हैं। कुछ निगमों को नियंत्रित करने वाले क़ानूनों के अनुसार उनके लेखों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है और रिपोर्ट विधानमंडल को सौंपी जाती है।

## 7.1 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) में यह प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष के आरंभ से 180 दिन की अवधि के भीतर सरकारी कंपनी या सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षकों को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाना है।

वर्ष 2022-23 के लिए सरकारी कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा सितंबर 2023 तक नियुक्त किया गया था।

## 7.2 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण

### 7.2.1 समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अनुसार, किसी सरकारी कंपनी के कामकाज और मामलों की वार्षिक रिपोर्ट उसकी वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.) के तीन महीने के भीतर तैयार की जानी चाहिए। ऐसी तैयारी के तुरंत बाद, वार्षिक रिपोर्ट को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर या उसके पूरक के रूप में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान मौजूद हैं। यह यंत्रावली राज्य की समेकित निधि से कंपनियों में निवेश किए गए सार्वजनिक धन के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अनुसार, प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों के साथ वार्षिक आम बैठक करने की आवश्यकता होती है और एक वार्षिक आम बैठक की तारीख और अगली वार्षिक आम बैठक की तारीख के मध्य 15 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी को उक्त वार्षिक आम बैठक में उनके विचार के लिए रखा जाना चाहिए।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7) में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए जिम्मेदार कंपनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर जुर्माना और कारावास की सजा का प्रावधान है।

विभिन्न राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक लेखे सितंबर 2023 तक लंबित थे, जैसा कि निम्नलिखित अनुच्छेद में विस्तृत विवरण दिया गया है।

### 7.2.2 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा लेखों की तैयारी में समयबद्धता

31 मार्च 2023 तक, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 35 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम थे। इन 35 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से, 34 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (जिनमें हरियाणा राज्य आवास वित्त लिमिटेड, जो परिसमापन के अधीन है, को छोड़कर दो निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम शामिल हैं) से वर्ष 2022-23 के लेखे देय थे। तथापि, केवल नौ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने 30 सितंबर 2023 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा के लिए वर्ष 2022-23 के अपने लेखे प्रस्तुत किए। ***परिशिष्ट 7.1*** में दिए गए विवरण के अनुसार 25 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के 60 लेखे विभिन्न कारणों से बकाया थे। इनमें तीन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के तीन लेखे शामिल थे जिनकी निवल संपत्ति पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लेखों को प्रस्तुत करने में बकायों के विवरण ***तालिका 7.1*** में दिए गए हैं:

**तालिका 7.1: सरकारी कंपनियों के लेखों को प्रस्तुत करने में बकायों के विवरण**

| विवरण | | राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम | लेखों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 31 मार्च 2023 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कंपनियों की कुल संख्या | | 35 | -- |
| ***घटा:*** परिसमापन के अधीन कंपनियां जिनके 2022-23 के लेखे देय नहीं थे | | 1 | -- |
| ***घटा:*** नई कंपनियां जिनके 2022-23 के लेखे देय नहीं थे | | - | -- |
| कंपनियों की संख्या जिनके 2022-23 के लेखे देय थे | | 34 | 34 |
| कंपनियों की संख्या जिन्होंने नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के लिए 30 सितंबर 2023 तक लेखे प्रस्तुत किए | | 9 | 9 |
| कंपनियों की संख्या जिनके लेखे बकाया थे | | 25 | 60 |
| बकायों का ब्रेक-अप | (i) निष्क्रिय | 2 | 5 |
| | (ii) पहले लेखे प्रस्तुत नहीं किए | 3 | 12 |
| | (iii) अन्य | 20 | 43 |
| 'अन्य' श्रेणी के विरूद्ध बकायों का आयु-वार विश्लेषण | एक वर्ष | 8 | 8 |
| | दो वर्ष | 5 | 10 |
| | तीन वर्ष तथा अधिक | 7 | 25 |

**स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा में प्राप्त वार्षिक लेखों के आधार पर संकलित।**

### 7.2.3 सांविधिक निगमों द्वारा लेखों की तैयारी में समयबद्धता

दो सांविधिक निगमों[1] की लेखापरीक्षा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा की जा रही है और पूरक लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जा रही है। दोनों सांविधिक निगमों में से किसी ने भी वर्ष 2022-23 के अपने लेखे सितंबर 2023 से पहले लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए। सितंबर 2023 तक, इन दोनों सांविधिक निगमों के दो लेखे (अर्थात वर्ष 2022-23 के) लंबित थे।

## 7.3 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का पर्यवेक्षण - लेखों की लेखापरीक्षा और पूरक लेखापरीक्षा

### 7.3.1 वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क

कंपनियों से कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप में और राष्ट्रीय वित्तीय

[1] हरियाणा वित्तीय निगम और हरियाणा राज्य भंडारण निगम।

रिपोर्टिंग प्राधिकरण[2] के रूप में नामित लेखांकन मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखांकन मानकों के अनुपालन में वित्तीय विवरण तैयार करना अपेक्षित है। सांविधिक निगमों से अपने लेखों को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से तैयार किए गए नियमों और ऐसे निगमों को नियंत्रित करने वाले अधिनियम में लेखों से संबंधित किसी अन्य विशिष्ट प्रावधान के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में तैयार करने अपेक्षित हैं।

### 7.3.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा करते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अनुसार उन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक इस समग्र उद्देश्य के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की मॉनीटरिंग द्वारा पर्यवेक्षण की भूमिका निभाते हैं कि सांविधिक लेखापरीक्षक उन्हें सौंपे गए कार्यों का सही एवं प्रभावी ढंग से निर्वहन करते हैं। इस कार्य का निर्वहन निम्नलिखित अधिकारों का उपयोग करके किया जाता है:

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना; और
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर पूरक या टिप्पणी करना।

### 7.3.3 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लेखों की पूरक लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 या अन्य प्रासंगिक अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार वित्तीय विवरणियों को तैयार करना एक इकाई के प्रबंधन का प्रमुख उत्तरदायित्व है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटैंट्स संस्थान की मानक ऑडिटिंग प्रथाओं और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणियों पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के साथ राज्य सरकार की चयनित कंपनियों के प्रमाणित लेखों की समीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा पूरक लेखापरीक्षा द्वारा की जाती है। ऐसी समीक्षा पर आधारित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां, यदि कोई हो, वार्षिक आम बैठक के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत प्रतिवेदित की जाती हैं।

---

[2] 01 अक्तूबर 2018 से प्रभावी।

## 7.4 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की पर्यवेक्षण भूमिका का परिणाम

### 7.4.1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लेखों की लेखापरीक्षा

अक्तूबर 2022 से सितंबर 2023 के दौरान 24 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से वर्ष 2022-23 और उससे पहले के वर्षों के 26 वित्तीय विवरण प्राप्त हुए। इन 26 वित्तीय विवरणों में से 18 की नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई, जबकि आठ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए गैर-समीक्षा प्रमाण-पत्र जारी किए गए। समीक्षा के परिणाम नीचे दिए गए हैं:

### 7.4.2 सरकारी कंपनियों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों के पूरक के रूप में जारी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की महत्वपूर्ण टिप्पणियां

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2022-23 की वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के बाद, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने छः राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की छः वित्तीय विवरणियों की पूरक लेखापरीक्षा की। वर्ष 2022-23 के लिए राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की वित्तीय विवरणियों पर जारी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां, जिनका लाभप्रदता पर ₹ 55.71 करोड़ और वित्तीय स्थिति पर ₹ 4,254.96 करोड़ का वित्तीय प्रभाव पड़ा, ***तालिका 7.2*** और ***तालिका 7.3*** में विस्तृत रूप से प्रस्तुत की गई हैं।

**तालिका 7.2: सरकारी कंपनियों की लाभप्रदता पर टिप्पणियों का प्रभाव**

| क्र.सं. | कंपनी का नाम | टिप्पणियां |
|---|---|---|
| 1 | **हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड वर्ष 2022-23 के लिए** | कंपनी ने अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक ₹ 293.80 करोड़ मूल्य के 71 कार्यों का पूंजीकरण किया, जो दिसंबर 2016 से फरवरी 2023 तक चालू किए गए थे। इन परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास की गणना संबंधित परियोजनाओं के चालू होने की तिथि के बजाय हस्तांतरण की तिथि अर्थात अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक की गई। परिणामस्वरूप, कंपनी ने इन परिसंपत्तियों पर ₹ 44.33 करोड़ का कम मूल्यह्रास दर्ज किया।<br><br>इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2022-23 के दौरान मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय को कम दर्शाया गया तथा लाभ को ₹ 44.33 करोड़ अधिक दर्शाया गया। |
| 2 | **दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड** | कंपनी ने हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (एचपीजीसीएल) को ईंधन मूल्य समायोजन बिल के संबंध में ₹ 11.28 करोड़ और जेपी पावर लिमिटेड को बिजली खरीद लागत के संबंध में ₹ 0.10 करोड़ का भुगतान क्रमशः मई और जून 2023 में किया। ये बिल वर्ष 2022-23 से संबंधित थे और ₹ 11.38 करोड़ के भुगतान की देयता वर्ष 2022-23 में प्रदान की जानी चाहिए थी। तथापि, कंपनी ने 2022-23 के दौरान इन बिलों के विरुद्ध कोई देयता दर्ज नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप अन्य चालू देयताओं को ₹ 11.38 करोड़ तक कम और लाभ को उसी सीमा तक अधिक दर्शाया गया। |

**तालिका 7.3: सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियों का प्रभाव**

| क्र.सं. | कंपनी का नाम | टिप्पणियां |
|---|---|---|
| 1. | **हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड** | एक आपूर्तिकर्ता को दी गई ₹ 2.08 करोड़ की अग्रिम राशि पार्टी के चालू बिलों से वसूल कर ली गई (अप्रैल 2017), लेकिन इस संबंध में कोई समायोजन प्रविष्टि नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप "अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों" को अधिक और "प्रगतिशील पूंजीगत कार्य" को ₹ 2.08 करोड़ तक कम दर्शाया गया। |
| 2 | **हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड** | 'गैर-वित्तपोषित देयता' के कारण कम प्रावधान के कारण ₹ 781.14 करोड़ का प्रावधान ₹ 143.24 करोड़ तक कम दर्शाया गया। एक्चुरियल वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार, ₹ 299.26 करोड़ की देयता के विरुद्ध ₹ 156.02 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके परिणामस्वरूप 'अन्य इक्विटी' को ₹ 143.24 करोड़ अधिक और 'प्रावधानों' को उस सीमा तक कम दर्शाया गया। |
| 3 | **उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड** | 1. भारतीय लेखांकन मानक-19 के पैरा 63 के अनुसार, किसी इकाई को बैलेंस शीट में निवल परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) को मान्यता देना अपेक्षित है। एक्चुरियल वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक वित्त पोषित लाभों और गैर-वित्त पोषित लाभों के लिए निवल परिभाषित लाभ देयता क्रमशः ₹ 4,742.03 करोड़ और ₹ 393.86 करोड़ थी। तथापि, कंपनी ने वार्षिक लेखों में वित्त पोषित लाभों के विरुद्ध ₹ 1,040.08 करोड़ की देयता/प्रावधान और गैर-वित्त पोषित लाभों के विरुद्ध शून्य देयता/प्रावधान प्रदान किया। परिणामस्वरूप, कर्मचारी लाभों के लिए देयता/प्रावधान ₹ 4,095.81 करोड़ कम दर्शाया गया और अन्य इक्विटी को भी उस सीमा तक अधिक दर्शाया गया।<br>2. अन्य वित्तीय देयताओं में ₹ 13.83 करोड़ जिसमें सावधि ऋण (मार्च 2023) प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को देय गारंटी फीस (₹ छः करोड़) और 2022-23 की अवधि से संबंधित विद्युत उत्पादन कंपनियों को देय विद्युत/ईंधन मूल्य समायोजन की लागत (₹ 7.83 करोड़) शामिल नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक लाभ को अधिक दर्शाया गया। |

## 7.5 प्रबंधन-पत्र

वित्तीय लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में से एक, लेखापरीक्षक और कॉर्पोरेट इकाई के प्रशासन का उत्तरदायित्व संभालने वालों के मध्य वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले लेखापरीक्षा मामलों पर संचार स्थापित करना है। सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की वित्तीय विवरणियों पर महत्वपूर्ण टिप्पणियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा टिप्पणियों के रूप में प्रतिवेदित किया गया था। इन टिप्पणियों के अतिरिक्त, वित्तीय रिपोर्टों में या रिपोर्टिंग प्रक्रिया में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा देखी गई अनियमितताएं या कमियां भी सुधारात्मक कार्रवाई हेतु एक 'प्रबंधन-पत्र' के माध्यम से प्रबंधन को सूचित की गईं थी। अक्तूबर 2022 से सितंबर 2023 के दौरान, 15 सरकारी कंपनियों और दो सांविधिक निगमों को प्रबंधन-पत्र जारी किए गए थे। प्रबंधन-पत्रों में लेखांकन नीतियों/प्रथाओं के अनुप्रयोग/व्याख्या से संबंधित कमियों तथा कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं के अपर्याप्त या गैर-प्रकटीकरण को इंगित किया गया था।

## 7.6 निष्कर्ष

31 मार्च 2023 तक, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राज्य में 37 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (दो सांविधिक निगम और 35 सरकारी कंपनियां (तीन निष्क्रिय सरकारी कंपनियों सहित) थे। 31 मार्च 2023 तक, 34 सरकारी कंपनियों से वर्ष 2022-23 के लेखे देय थे। तथापि, केवल नौ सरकारी कंपनियों ने 30 सितंबर 2023 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के लिए वर्ष 2022-23 के अपने लेखे प्रस्तुत किए। 25 सरकारी कंपनियों और दो सांविधिक निगमों के लेखे एक से छः वर्ष की अवधि के लिए बकाया थे।

## 7.7 सिफारिशें

राज्य सरकार को उन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों, जिनके लेखे बकाया हैं, पर दबाव डालना चाहिए, ताकि वे अपनी वित्तीय विवरणियों को शीघ्र अंतिम रूप दे सकें, क्योंकि अंतिम रूप न दिए जाने की स्थिति में, ऐसे राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में सरकारी निवेश राज्य विधानमंडल की निगरानी से बाहर रहता है।